न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की ता[illegible] हुए
	बाबूलाल बनाम मुरारी मु.नं.– 09/24 किस्म – ज.दी.	
	स्वीकार की जावे। निवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी सं.01,02 की तामील दावे के अनुसार स्वीकार की जाती है। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र ज.दी. दिनांक 02.4.26 को पेश हो। उपखण्ड अधि[illegible] मण्डावर (दौसा)	
02.4.26	अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.4.26 को पेश हो।	
23.04.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज (Reject) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
09/2024	15.02.2024	23.04.2026

बउनवान

1. बाबूलाल पुत्र कंचन लाल, निवासी गढ़ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा ।

..प्रार्थी

बनाम

1. मुरारी पुत्र भौरीलाल, निवासी गढ़ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा ।
2. जगदीश पुत्र भौरीलाल, निवासी गढ़ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
4. उप पंजीयक महोदय, मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात खसरा सं. 652/1, 663/3, 653, 654, 655, 658, 662, कुल किता 7, कुल रकबा 1.88 हैक्टे. ग्राम गढ़हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की मृतक माता श्रीमती भग्गो पत्नी स्व. भौरीलाल हिस्सा 13/90 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी जिसका दिनांक 15.01.2024 को ग्राम गढ़ हिम्मतसिंह में निधन हो गया है। मृतक श्रीमती भग्गो देवी पत्नि भौरीलाल के तीन पुत्र है जिनको श्रीमती भग्गोदेवी ने अपने कोख से जन्म दिया है, वो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 है। मु. भग्गों देवी के सबसे बडा पुत्र प्रार्थी ही है। मु. भग्गो देवी की मृत्यु दिनांक 15.01.2024 को होने पर उसके हिस्से की भूमि का अभी नामान्तकरण खोला जाना है जो कि उसके विधिक वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम ही खोला जाना है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व कर्मचारियों से साज कर उक्त मृतक मु.भग्गों देवी की भूमि के हिस्से का नामान्तकरण अपने दोनों के ही नाम प्रार्थी के नाम हटाकर खुलवाना चाहते हैं तथा उक्त भूमि को नामान्तकरण खुलते ही रहन बय मुन्तकिल करना चाहते है जिससे प्रार्थी को उसके हक से वंचित किया जा सके। जबकि प्रार्थी भी मृतक भग्गो देवी का विधिक वारिस है तथा उसका उक्त भूमि में 1/3 भाग जरिये जन्मजात बनता है। इस कारण उक्त भूमि के अपने हिस्से को वह प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी मु.मृतक भग्गों देवी का सबसे बडा पुत्र होने के कारण उक्त मृतक मु.भग्गो देवी के हिस्से 13/90 का 1/3 भाग

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त हिस्से की घोषणा अपने नाम करवाये जाने का अधिकारी है जिस पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है तथा मृतक भग्गो देवी के हिस्से 13/90 का 1/3 भाग का खातेदारी अपने नाम कराये जाने तथा उक्त इन्दाजात को दुरूस्त कराये जाने का अधिकारी है। दिनांक 26.01.2024 को प्रार्थी द्वारा अपनी मृतक माता भग्गों देवी के सारे कार्य पुत्र होने के कारण सम्पन्न कराये थे, बारह ब्राहमण पर होने वाले सम्पूर्ण खर्च वगै. किया गया तथा राजीखुशी सारा कार्य किया गया लेकिन सायं होते ही अप्रार्थी सं. 1 व 2 एकदम से नाराज हो गये और प्रार्थी को धमकी देने लगे कि हम तुझे कोई हिस्सा नहीं देगे तथा उक्त भूमि के हिस्से मु. मृतक भग्गों देवी के नाम का नामान्तकरण हम दोनों के नाम ही खुलवायेंगे, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जायेगा तथा ज्यादा करेगा तो हम तुझे उक्त आराजी के हिस्से पर जिस पर तुम्हारा कब्जा चला आ रहा है, उससे भी बेदखल कर छोडेंगे जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी स. 1 व 2 के मन में बदयान्ती आ गई है और वो प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी उपरोक्त कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति से बचाने हेतु उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना जरूरी है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस पूर्णतया प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की भी सूरत है। अतः अर्ज है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वो दावा के निर्णय तक विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करे। प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्तियों से ही करावे। मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की सम्यक तामील के बावजूद, अप्रार्थीगण ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस का मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2074–77 के अनुसार, प्रार्थी विवादित आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है जबकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजीयात के खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र के जरिये विवादित आराजीयात में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य के उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 23.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)